

बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान -841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154-242099 (कार्या0)
06154-242860 (कार्या0)
06154-242098 (आवास)
06154-242348 (फैक्स)

email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में दिनांक-01.07.2019 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :-

1.1-विधि शाखा- प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एम0जे0सी0 के निम्न मामले लम्बित हैं:-

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 नं0- /19 बलिन्द्र चौधरी बनाम बिहार राज्य	जिला शिक्षा पदा0/ डी0पी0ओ0 एस0एस0ए0	बताया गया कि यह मामला वर्ष 2009 में दान स्वरूप दी गयी भूमि पर विद्यालय का निर्माण न कराकर दूसरी भूमि पर निर्माण कराने से संबंधित है। जिला शिक्षा पदा0/डी0पी0ओ0, एस0एस0ए0 को तुरंत एस0ओ0एफ0 तैयार करवाने का निदेश दिया गया।
2	एम0जे0सी0 नं0- /19 रमेश उपाध्याय बनाम बिहार राज्य	अंचलाधिकारी, दरौंदा	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार हो रहा है।
3	एम0जे0सी0 नं0- /19 बृजकिशोर सिंह बनाम बिहार राज्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	बताया गया कि प्रधान सचिव के आदेश के बाद एस0ओ0एफ0 तैयार हो रहा है।
4	एम0जे0सी0 नं0- /2019 लालजी प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	बताया गया कि रिपोर्ट तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेज दिया गया है।उनके स्तर से एस0ओ0एफ0 दायर होगा।उन्हें निदेशक का पुनः ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्मार देने का निदेश दिया गया।
5	एम0जे0सी0 नं0- /19 ओमप्रकाश राम बनाम बिहार राज्य	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	जिला पंचायत राज पदाधिकारी को शीघ्र एस0ओ0एफ0 तैयार कर जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
6	एम0जे0सी0 नं0-2493/2016 मैनेजर चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अनु0पदा0,सीवान/ अंचलाधिकारी, हुसैनगंज	बताया गया कि इसमें अंचल अधिकारी, हुसैनगंज के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई चल रही है। अगली सुनवाई की तिथि 19.07.19 के पूर्व अतिक्रमण वाद का पूर्ण निष्पादन कर कारण पृच्छा दायर करनी है। इससे संबंधित जमाबंदी रद्द करने का वाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा है। अपर समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी से बात कर ससमय कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

1.2-बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय-सीमा के अंदर तथ्य विवरणी दाखिल किया जाना आवश्यक है :-

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-7571/19 विजेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य	अनु0पदा0,सीवान सदर/ अंचल अधिकारी, पचरुखी	बताया गया कि अभीतक एस0ओ0एफ0 नहीं मिला है जबकि दिनांक-16.05.19 के पूर्व ओथ दायर करना था। जिलाधिकारी के स्तर से स्पष्टीकरा पूछने का निदेश दिया गया।
2	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0- 12323/2018 सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अनु0पदा0,सीवान सदर/ अंचल अधिकारी, सिसवन	बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक-24.06.19 के चार सप्ताह के अंदर ओथ दायर करने का निदेश दिया गया है। अनु0पदा0 को अविलम्ब एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
3	सी0डबलू0जे0सी0 नं0 254/2018 उपेन्द्र ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	प्र0वि0पदा0 गुठनी	माननीय न्यायालय द्वारा आखिरी मौका देते हुए अगली निर्धारित तिथि 30.07.19 के पूर्व पेंशन एवं ग्रैच्युएटी की बकाया राशि का भुगतान कर ओथ

		दायर करने का निदेश दिया गया है। प्र०वि०पदा० से वार्ता कर ससमय कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
--	--	---

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर वे निरंतर लंबित एम०जे०सी०/सी०डब्ल्यू०जे०सी० के मामलों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। (अनु०-सभी जिलास्तरीय पदा०)

2-लोक शिकायत निवारण:- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान द्वारा बताया गया कि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के स्तर पर लोक शिकायत से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई थी। उसमें निदेश दिया गया है कि जो पदाधिकारी सूचना के बावजूद निर्धारित तिथि को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित नहीं होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज दिया जाय। अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान सदर द्वारा बताया गया कि बार बार के नोटिस के बावजूद थानाध्यक्ष निर्धारित तिथि को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित नहीं होते हैं और ना ही अपने स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिवेदन के साथ भेजते हैं, जिसके कारण मामले का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि थानाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में उन्हें हिदायत दे दी गई है। यदि इसके बावजूद वे उपस्थित नहीं होते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

3-आर०टी०पी०एस०- बताया गया कि आर०टी०पी०एस० से संबंधित कोई समस्या नहीं है।

4-विद्युत :- कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत द्वारा बताया गया कि कोई विशेष समस्या नहीं है।

5-बाढ़ नियंत्रण:- बताया गया कि सभी तटबंधों का स्थल निरीक्षण कर लिया गया है और कहीं कोई समस्या नहीं है।

6-सेवान्त लाभ :- जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने अभी तक विहित प्रपत्र में सेवान्त लाभ से संबंधित प्रतिवेदन नहीं भेजा है वे अविलम्ब प्रतिवेदन भेज दें। बताया गया कि दिनांक-12.07.2019 को लोकायुक्त, बिहार के यहाँ इस मामले की सुनवाई है इसलिए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिनांक-109.07.19 तक अनुपालन प्रतिवेदन भेज दें। बिना ठोस आधार के किसी भी सेवानिवृत्त कर्मियों का सेवान्त लाभ लम्बित नहीं रहना चाहिए। यदि विभाग से आवंटन एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो उससे संबंधित पत्र अविलम्ब भेज दें। (अनु०-सभी निकासी एवं व्ययन पदा०)

6-सामान्य शाखा-

6.1-बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग- बताया गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदा० का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	कलामुद्दीन अंसारी, पिता-राजुदीन अंसारी, ग्राम-इस्लामियां नगर, सिसवन ढाला, जिला- सीवान का परिवाद पत्र	889 दि० 21. 04.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से मिल कर स्थिति से अवगत कराने एवं प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
2	माना कुँवर, पति- स्व० हरि सिंह, ग्राम-सिपाह, थाना-बसंतपुर, जिला- सीवान का परिवाद पत्र	1587 दि० 09. 07.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	
3	श्री ब्रजेश पाण्डेय, पिता-स्व० दुर्गा पाण्डेय, ग्राम-चकरी, थाना- दरौली, जिला सीवान का परिवाद पत्र	236 दिनांक- 24.01.19	पुलिस अधीक्षक, सीवान	
4	हाजरा खातून, पति- मुन्ना अंसारी, ग्राम-थाना आंदर, जिला-सीवान का परिवाद पत्र	3145 दि०-26. 10.18	थानाध्यक्ष, आंदर	
5	श्रीमती कुसुम देवी, पति- ललन भगत, थाना-भगवानपुर हाट का परिवाद पत्र	339/सा० दि० 07.02.19	अंचल अधिकारी, भगवानपुर हाट	
6	श्री रहमान मियाँ, पिता-आस मोहम्मद मियाँ	792 दिनांक 20.04.2019	प्रखण्ड विकास पदा०, बसंतपुर	

निदेश दिया गया।

6.2-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित

मामले लम्बित हैं:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	रोपना उराव, ग्राम-चन्दकोपी, प्रखण्ड बेरो, जिला-रांची का परिवाद पत्र	994 मु० दि० 17.12.18	अनु० पदाधिकारी, महाराजगंज	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

6.3-राष्ट्रीय एवं बिहार अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग:-बताया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित

जाति एवं जनजाति आयोग से प्राप्त निम्नलिखित परिवाद पत्र अनुपालन हेतु लम्बित हैं:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	बसंतपुर थाना काण्ड सं०-305/17 में नामजदों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु श्री त्रिभुवन राम का आवेदन पत्र	पत्रांक-286 दि०-18.01.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को पुलिस अधीक्षक, सीवान से व्यक्तिगत रूप से मिल कर स्थिति से अवगत कराने एवं प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
2	श्री मनन बैठा, पिता-स्व० यगु बैठा, रघुनाथपुर	743 दिनांक 18.04.2019	पुलिस अधीक्षक, सीवान	
3	श्री सच्चिदानंद साधु, ग्राम रजनपुरा, थाना- एम०एच० नगर का परिवाद	1329 दि० 11.06.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	
4	तारा देवी, अनु० जाति थाना में केस दर्ज नहीं करने के संबंध में।	742 दिनांक 18.04.2019	पुलिस अधीक्षक, सीवान	
5	श्रीमती उषा देवी पति- स्व० ललन साह, ग्राम-कौड़िया, थाना- भगवानपुर हाट, जिला- सीवान का परिवादपत्र	1518 दि० 02.07.18	प्र०वि०पदाधिकारी, भगवानपुर हाट	लम्बे समय से प्रतिवेदन लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और प्र०वि०पदा० से दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
6	श्री कामेश्वर बैठा, पिता- स्व० मुन्नी लाल बैठा, ग्राम- पो० बसां, थाना- बसंतपुर, जिला-सीवान के परिवाद पत्र के संबंध में।	695 दि०- 10.04.17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर	कड़ा स्मार देने एवं दूरभाष पर बात करने का निदेश दिया गया।
7	श्री बन्धु साह, पिता-छटु साह, दरौली	768 दिनांक 20.04.2019	अंचलाधिकारी, दरौली	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।

6.4-बिधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा प्रश्न-बताया गया कि निम्नलिखित विधान सभा/विधान परिषद/ लोक सभा प्रश्न अभी लम्बित हैं:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया	अभ्युक्ति
1	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०- 58	672 दिनांक- 04.04.2018	जिला खेल पदाधिकारी सीवान	जिला खेल पदाधिकारी को जिलाधिकारी के समक्ष बुलाने का निदेश दिया गया।
2	अनियोजन सांकेतिक भत्ता योजना वर्ष 1981-82 के अंतर्गत बिहार के सभी जिला में नियुक्त कर्मियों की अनियमित सेवा सम्पुष्टि की जाँच के सम्बंध में	3088 दिनांक-22.10.18	स्थापना उप समाहर्ता, सीवान	स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रक्रियाधीन है।
3	लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 4476 की उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बंध में।	2883 दि० 24.09.18	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सीवान	कड़ा स्मार देने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

4	श्री हरिशंकर यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०- ख-845 के आलोक में सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन 503/18 के संबंध में।	1037 दिनांक 06.06.19	जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
5	श्री केदार नाथ पाण्डेय, माननीय स०वि०पदा० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं० आई०आर०-03	3462 दिनांक 10.12.18	अंचलाधिकारी, सीवान सदर/ पचरुखी	बताया गया कि जिला सामान्य शाखा को प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है।
6	श्री रामायण मांझी स०वि०स० द्वारा अतारांकित प्रश्न सं०-ए०-6 से उत्पन्न आश्वासन सं० 1302/09 सीवान जिला के लाईसेन्सधारी आर्म्स रिलिज करने का कार्यान्वयन प्रतिवेदन	502 दिनांक 14.03.19	शस्त्र दण्डाधिकारी, सीवान	कड़ा स्मार देने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
7	श्री विरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०प० द्वारा दिनांक-11.03.19 को प्रस्तुत निवेदन सं० बी०प०नी० (गृह विशेष) 77/19	853 दिनांक-04. 05.19	पुलिस अधीक्षक, सीवान	पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से मिल कर स्थिति से अवगत कराने एवं प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
8	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स०वि० स० द्वारा प्रज्ञप्त याचिका संख्या 46/15 के संबंध में	1038 दिनांक 06.06.19	उप विकास आयुक्त सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
9	श्री ब्यासदेव प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न सं०-2 के संबंध में	929 दिनांक- 29.05.19	अपर समाहर्ता, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
10	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त निवेदन सं० 2694/19	1160 दिनांक 16.06.19	पुलिस अधीक्षक, सीवान	पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से मिल कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
11	श्री राधा चरण साह, मा० स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद के 191 वें सत्र में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-पी०एस०-1 की उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में।	1156 दिनांक 15.06.19	शस्त्र दण्डाधिकारी, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
12	बिहार विधान परिषद के 117 वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० ई-254 की प्रश्नोत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।	1157 दिनांक- 15. 06.19	कार्यपालक अभियन्ता भवन प्रमण्डल, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।

6.5-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग:- बताया गया कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग से सम्बंधित निम्नलिखित मामले लंबित है, जिसके लिए सम्बंधित पदाधिकारियों को स्मार दिया गया है:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	दि० 25.10.18 को उपद्रवियों के उपद्रव से आवेदक के निजी नाद, खूटा एवं दूकान को तोड़-फोड़ करना तथा आग लगाने के सम्बंध में श्री नूर आलम, प० गुलाम मुस्तफा सा० पसनौली गगन, थाना-महाराजगंज का आवेदन पत्र	1056 दिनांक- 31. 05.17	थानाध्यक्ष, महाराज गंज	पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से मिल कर स्थिति से अवगत कराने एवं प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
2	कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना विफल करते हुए असामाजिक समुदाय के लोगों के साथ मारपीट एवं लूटपाट करने संबंध में अजहर अली, ग्राम-खानपुर का आवेदन	1094 दिनांक- 21. 05.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	
3	म० शमीम अख्तर, पूर्व अवर सचिव, गृह विभाग को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।	470 दिनांक-03. 03.19	पुलिस अधीक्षक, सीवान	

6.6-लोकायुक्त, बिहार- बताया गया कि लोकायुक्त, बिहार से संबंधित निम्नलिखित मामले लंबित हैं, जिसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को स्मार दिया गया है:-

क्र०	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र	पदाधिकारी का पदनाम,	अभ्युक्ति
------	--------------	--------------	---------------------	-----------

		की संख्या एवं दिनांक	जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	
1	परिवाद सं०-2/लोक(पं०रा०) 3/2016 में श्री जगलाल साहू,से०नि० पंचायत सचिव को सेवा निवृत्ति के दो साल भी बकाया वेतन कुल 1778 रु० का भुगतान लंबित रहने के संबंध में	156 दिनांक 18.01.19	जिला पंचायत राज पदा०, सीवान प्र०वि०पदा०, हुसैनगंज	कड़ा स्मार देने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
2	परिवाद सं०-1/लोक (शिक्षा) 18/2016 सीवान जिलान्तर्गत धरीक्षण चौधरी इण्टर कॉलेज, बड़हरिया में वित्तीय वर्ष 2011-12 में पोषाक राशि के गबन एवं घोटाला की जाँच के संबंध में	735 दिनांक 15.04.19	पुलिस अधीक्षक,सीवान /जिला शिक्षा पदा०/ जिला नीलाम पत्र पदा० /थानाध्यक्ष, बड़हरिया	स्मार देने एवं दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
3	श्री बैद्यनाथ साह सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी, समाहरणालय,सीवान के प्रथम ए०सी०पी० एवं द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।	921 दिनांक 28.05.19	अपर समाहर्ता, सीवान	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
4	परिवाद सं०-1/लोक (कल्याण) 09/2017 में दर्ज फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन के संबंध में।	876 दिनांक 16.05.19	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीवान	कड़ा स्मार देने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
5	परिवाद सं०-1/लोक (कल्याण) 08/2018 में दर्ज जिला समाहर्ता न्यायालय में अपील वाद सं० 105/16-17 में जिला समाहर्ता के अंतिम आदेश दिनांक-05.09.17 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी श्री राज कुमार यादव द्वारा पत्र निर्गत करने के लिए 20,000 रु० की मांग करने एवं प्रताड़ित करने के संबंध में।	838 दिनांक 27.04.19	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीवान	कड़ा स्मार देने एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
6	परिवाद सं०-1/लोक (पंचायत) 29/2018 में दर्ज ग्राम पंचायत राज टेघड़ा, प्रखण्ड-थाना-महाराजगंज, जिला-सीवान के पंचायत सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में गाड़े गए चापाकल में नियम के विरुद्ध कार्य कर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में।	882 दिनांक- 20.05.19	जिला पंचायततीराज पदाधिकारी,सीवान	जिला पंचायतराज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदन भेज दिया गया है।-जाँच में आरोप सही पाया गया है। उन्हें दोषी पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
7	परिवाद सं०-1/लोक (राजस्व) 34/2018 अंचल प्रशासन, हसनपुरा के कर्मियों द्वारा अनियमितता/ गड़बड़ी करने तथा सरकारी कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल भ्रष्ट आचरण करने के संबंध में।	837 दिनांक 27.04.19	अपर समाहर्ता, सीवान	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को तुरंत प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

इन मामलों की समीक्षा के उपरान्त इस बात पर असंतोष व्यक्त किया गया कि प्रत्येक बैठक में स्पष्ट निदेश दिए जाने के बावजूद पदाधिकारियों द्वारा वांछित प्रतिवेदन भेजने में पर्याप्त रुचि नहीं ली जा रही है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा एवं प्रधान लिपिक, जिला सामान्य शाखा को संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों की बैठक में उनसे सम्बंधित मामलों को रखने का निदेश दिया गया। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक से सम्पर्क स्थापित कर संबंधित मामलों का ससमय निष्पादन कराने हेतु निदेश दिया गया। (अनु०-प्रभारी पदा०, जिला सामान्य शाखा/सभी संबंधित पदा०/प्रधान लिपिक, जिला सामान्य शाखा)

8-विविध:-

8.1- बताया गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम से प्राप्त दस्तावेज को नीचे अंकित पदाधिकारियों को जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु भेजा गया है,लेकिन अभी तक पूर्ण जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है:-

क्र०	पदाधिकारी का पदनाम	जॉच हेतु भेजे गए कुल दस्तावेजों की सं०	सत्यापन के बाद विभाग द्वारा भेजे गए कुल दस्तावेजों की सं०	विभिन्न कार्यालयों में लंबित दस्तावेजों की सं०
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	285	244	41
2	कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद	55	43	12
3	जिला अवर निबंधक,सीवान	51	47	04
4	अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान सदर	143	131	12
5	कार्यपालक दण्डाधिकारी,महाराजगंज	10	0	10
6	कार्य०पदा०, नगर पंचायत,मैरवा	5	4	1
7	अनुमण्डल पदाधिकारी,महाराजगंज	7	0	7

बताया गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम से संबंधित अनुपलब्ध दस्तावेजों को उपलब्ध कराने हेतु राजस्व विभाग को पत्र भेज दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को विभाग में बात कर एवं विशेषदूत भेजकर अनुपलब्ध दस्तावेजों को प्राप्त करने का निदेश दिया गया।(अनु०-प्र० पदा०, जि० सामान्य शा०)

8.2-सी०एम०डैश बोर्ड-आई०टी० मैनेजर द्वारा बताया गया कि सी०एम० डैश बोर्ड से सम्बंधित प्राप्त परिवादों को संबंधित पदाधिकारियों को भेज दिया गया है। सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सी०एम० डैश बोर्ड से संबंधित परिवादों का अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराएँ।

8.3-सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि एईस का कोई मामला सीवान जिला में अबतक सत्यापित नहीं हुआ है। सभी मामलों की जॉच की गई है।

8.4-सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि 17-18 महीने से अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय भुगतान आवंटन के अभाव में नहीं हो रहा है। उन्हें जिलाधिकारी के स्तर से पत्र भेज कर विभाग को स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।
(अनु०-सिविल सर्जन,सीवान)

8.5-सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि सरकारी एवं निजी अस्पतालों के बायो मटेरियल के कलेक्शन एवं निष्पादन के लिए एजेन्सी नियुक्त की गई हैं, जो भुगतान के आधार पर यह कार्य करती है, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि बिना निबंधन के कितने अस्पताल चल रहे हैं और उनके द्वारा बायो मटेरियल का निष्पादन किस तरह से किया जा रहा है। उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए सरकार एवं एन०जी०टी० के आदेश के आलोक में बायो मटेरियल्स के निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं बिना निबंधन वाले निजी चिकित्सालयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
(अनु०-सिविल सर्जन, सीवान)

8.5-जिलाधिकारी द्वारा इस बात पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई कि दिनांक-30.06.19 को मैरवा में निजी चिकित्सालय की जॉच के बाद चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी की गई। सिविल सर्जन,सीवान को संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछ कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (अनु०-सिविल सर्जन,सीवान)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ज्ञाप सं०-1471/सी० दिनांक- 03 वीं जुलाई, 2019 ई०

प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक,सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उप विकास आयुक्त,सीवान/अपर समाहर्ता,सीवान/निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान/सिविल सर्जन,सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान,महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान,महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/ महाराजगंज/वरीय कोषागार पदाधिकारी,सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/ सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/ कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई०टी० मैनेजर, सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

02-07-19
जिलाधिकारी, सीवान

02-07-19
जिलाधिकारी, सीवान